

प्रश्न सं. [ क. 1209 ]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1209  
माननीय सपत्न्य श्री कुँवर अभिजीत शाह  
प्रश्नांश - (ख) पत्रक-1

परिशिष्ट


भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार मिलने वाले लाभों के पत्रक मोरण्ड बांध के विस्थापितों को प्रदाय भूमि एवं संपत्ति का मुआवजा विभिन्न अनुदान भत्ते एवं सुविधाओं का विवरण पहली अनुसूची धारा 30 (2) भू-स्वामियों के लिए प्रतिकर

स.क्र.	विवरण	राशि का प्रति परिवार	ग्राम	रिमार्क
1	भूमि का मुआवजा	कलेक्टर गाईडलाइन के अनुसार (प्रति हेक्टेयर)	बोथी	भूअर्जन की धारा 11 की प्रकाशन की दिनांक को भूअर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 में निहित प्रावधानों के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण किया जावेगा।
2	सोलेशियम 100 प्रतिशत			

- (1) निजी भूमि का मुआवजा:- धारा 11 के प्रकाशन की दिनांक को प्रचलित ग्राम की कलेक्टर गाइडलाइन का दो गुना देय होगा
- (2) संपत्ति का मुआवजा - मकान, कुंआ, ट्यूबवेल एवं वृक्ष आदि का देय होगा
- (1) मकान :- पी.डब्ल्यू. डी. विभाग (कार्यवाही)
  - (2) कुंआ ट्यूबवेल :- पी.एच.ई. /आर.ई.एस विभाग(कार्यवाही)
  - (3) वृक्ष :- वन विभाग(कार्यवाही)
  - (4) बगीचे :- उद्यानिकी विभाग(कार्यवाही)
  - (5) फसल :- कृषि विभाग (कार्यवाही)
- (3) ब्याज :- धारा 4 के प्रकाशन दि. से 12 प्रतिशत ब्याज कलेक्टर दर पर भी देय होगा

  
परियोजना प्रशासक


मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)  
सिवनी मालवा जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

निरंतर - 2



विस्थापितों को प्रदाय किये जाने वाले लाभ			
दूसरी अनुसूची धारा 31 (1), 38 (1) और 105 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के तत्व			
1	वार्षिक नियोजन का विकल्प (रोजगार के संबंध) प्रत्येक 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये व्यक्ति हेतु )	500000	एक मुश्त राशि 5 लाख (प्रत्येक कुटुम्ब) को
2	विस्थापित कुटुम्ब के लिये एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान (प्रत्येक 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये व्यक्ति हेतु )	36000	3000 रु. प्रतिमाह एक वर्ष के लिए
3	विस्थापित कुटुम्ब के लिये परिवहन खर्च (प्रत्येक 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये व्यक्ति हेतु )	50000	अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार के लिए अतिरिक्त
4	एक बार पुनर्व्यवस्थापन	50000	एक मुश्त
5	मकान हेतु भूखण्ड की कीमत	150000	उन कुटुम्बों जो विस्थापन स्थल पर प्लॉट (भूखंड) नहीं लेना चाहेंगे (वैकल्पिक)
6	मवेशियों के लिए शेड व छोटी दुकान	25000	एक मुश्त
7	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य (एक बार)	25000	एक मुश्त
8	विस्थापनस्थल पर भूखंड (प्रत्येक 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये व्यक्ति हेतु )	-	आवास हेतु निशुल्क
9	मछली पकड़ने का अधिकार	-	प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए


  
परियोजना प्रशासक


मौरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)  
सिवनी मालवा जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)



तीसरी अनुसूची 5 धारा 32 (2), 38 (1) और 105 (3) (अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपलब्ध)

1. विस्थापन स्थल पर ग्रामों के भीतर पक्की सड़के
2. उचित जल निकासी
3. प्रत्येक कुटुम्ब के लिये सुरक्षित पेय जल के एक या अधिक स्रोत
4. पशुओं के लिये पेय जल की व्यवस्था
5. उचित मूल्य दुकान
6. पंचायत घर
7. बीज भंडार गृह
8. स्थल पर रहने वाले जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के अनुसार कब्रस्तान, या शमशान घाट, विद्युत व्यवस्था
9. प्रशासन स्थल,
10. विद्युत व्यवस्था
11. आंगनवाड़ी
12. विद्यालय
13. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
14. बच्चों के लिये क्रीडा स्थल
15. प्रत्येक 100 कुटुम्ब के लिये सामुदायिक केन्द्र
16. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुम्ब के लिये पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिये चौपाल/ वृक्ष, चबूतरा
17. परम्परागत जनजातीय संस्थाओं के लिये अलग भूमि का चिन्हित किया जाना
18. पशुपालन सेवा केन्द्र
19. अन्य सुविधाएं

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

  
परियोजना प्रसासक  
मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)  
सिवनी मालवा जिला-नर्मदापुरम (म.प्र)